

27-11-25

पजावली पेशा ड्रई, वकील वादीगण उपस्थित,
वकील वादीगण का वाद पग स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृषक से लिखा जाकर शामिल पजावली किया
गया। पजावली फलल शुमार होकर मन्वर से कम हो

उपरखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-मीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

पीठासीन अधिकारी :- संजना जोशी आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 35/2020 राजस्व वादपत्र

उनवान

1. श्री भैरु पिता श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा।
2. श्री सुरेश पिता श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. श्री दिनेश पिता श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
4. लक्ष्मी पुत्री श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
5. रेखा पुत्री श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
6. रीना पुत्री श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
7. श्रीमती बदाम पत्नी श्री शोभालाल रेगर, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

- वादीगण

बनाम

1. श्री भंवर पिता गोपाल बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती केसर बेवा गोपाल बलाई, उम्र वयस्क, निवासी माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, माण्डल, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 आर.टी. एक्ट बाबत् कराये जाने विभाजन आराजियात
उपस्थित:- श्री सुरेन्द्र प्रताप सुवालका (अधिवक्ता वादीगण)

दिनांक 27.11.2025

आज दिनांक 27.11.2025 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के बाबत् विभाजन आराजियात राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 54 के तहत इस प्रकार मंजूर किया जाता है कि वाद डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम माण्डल प0ह0 माण्डल-1 भू.अ.नि. क्षेत्र माण्डल तहसील माण्डल में स्थित खाता स0 1242 की आराजी सं. 1722, 1724, 1725 कुल किता 03 रकबा 1.8210 है0 एवं खाता सं. 1241 की आराजी सं. 1723 कुल किता 1 रकबा 0.0126 है0 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा ऑनलाईन नक्शे को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है:-

1- भैरूलाल पुत्र शोभालाल रेगर सा. देह, दिनेश पुत्र शोभालाल रेगर सा. देह, बादामदेवी पत्नी शोभालाल रेगर सा. देह, रेखा पुत्री शोभालाल रेगर सा. देह, रीना पुत्री शोभालाल रेगर सा. देह, लक्ष्मी पुत्री शोभालाल रेगर सा. देह, सुरेश पुत्र शोभालाल रेगर सा. देह के नाम दर्ज की जावे -

क्र. सं.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	1722/1	0.3415 है0	बंजड़, बा-III
2	1724	0.5817 है0	बा-III
3	1725/2	0.2908 है0	बा-III
कुल किता	03	1.2140 है0	

2- प्रतिवादीगण भंवर पुत्र गोपाल 1/2 बलाई सा. देह, केसर पत्नी गोपाल 1/2 बलाई सा. देह के नाम दर्ज किया जावे-

क्र. सं.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	1722/2	0.3161 है0	बंजड़, बा-III
2	1725/1	0.2909 है0	बा-III
कुल किता	02	0.6070 है0	

उपस्थित अधिकारी
माण्डल, जिला-भीलवाड़ा

(2)
3- भैरूलाल पुत्र शोभालाल 1/6 रेगर सा.देह, दिनेश पुत्र शोभालाल 1/6 रेगर सा. देह, सुरेश पुत्र शोभालाल 1/6 रेगर सा. देह, भंवर पुत्र गोपाल 1/4 बलाई सा.देह, शंकर पुत्र गोपाल 1/4 बलाई सा. देह के नाम दर्ज की जावे:-

क्र. स.	आ0 न0	रकबा	किस्म
1	1723	0.0126 है0	गे.मु.खड्डा
कुल कित्ता	01	0.0126 है0	

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रहेगी तथा साथ ही प्रतिवादीगण क्रम 01 लगायत 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान् अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार माण्डल को प्रेषित हो।
बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 27.11.2025 को जारी की गई।

(संजना जोशी)

उपखण्ड अधिकारी माण्डल
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार माण्डल को मय प्रमाणित सुदा प्रस्तावित ऑनलाईन नक्शा व विभाजन प्रस्ताव के पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी माण्डल
जिला भीलवाड़ा